**प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का आरंभ किया। आपने पूरे राष्ट्र के सामने उत्तम विचारों के साथ संविधान का माहात्म्य, संविधान की उपयोगिता और संविधान निर्माण के पीछे राष्ट्र के महापुरुषों की दीर्घ दृष्टि को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आपका भाषण संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक दस्तावेज बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं।

सदन में भी इस कार्यक्रम में जो रुचि दिखाई गई, सबने एक मत से जो समर्थन किया और अपने तरीके से संविधान के माहात्म्य और उसके प्रति प्रतिबद्धता को जिस प्रकार से चर्चा के द्वारा प्रस्तुत किया, मैं इसके लिए सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता हूं, कुछ लोगों की यह गलतफहमी है और शायद पुरानी आदत के कारण चलता होगा, कहीं मैं देख रहा था कि प्रधान मंत्री चर्चा के आखिर में जवाब देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि यह चर्चा उस रूप में है। मैं भी इन सभी सदस्यों जैसा एक सदस्य हूं और जैसे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, वैसे ही मैं भी अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस चर्चा की स्प्रिट वही है। इस चर्चा की स्पिरिट मैं और तू नहीं है। इस चर्चा की स्पिरिट हम है, पूरा सदन है। देश के सब जनप्रतिनिधि हैं और इसलिए आखिरकार इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी वही था। यह बात सही है कि 26 जनवरी को हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं लेकिन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना 26 नवम्बर है। इसको भी उजागर करना उतना ही आवश्यक है और 26 नवम्बर को उजागर करके 26 जनवरी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है, वह 26 नवम्बर में निहित है, यह उजागर करने की आवश्यकता है।

मैं डिटेल में आज स्कूलों के सिलेबस के विषय में नहीं जानता हूं। हर राज्य के अपने अपने सिलेबस होते हैं लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था और उसमें थोड़ा सा परिचय हमारे संविधान का आता था लेकिन बाद में जाकर वह करीब-करीब खो जाता था और या तो कोई वकालत के व्यवसाय में जाए या कोई राजनीति में जाए, उन तक ही हमारे संविधान की सारी गतिविधि सीमित होती थी। भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, हम सबको बांधने की ताकत संविधान में है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है और इसलिए समय की मांग है कि हम संविधान की सैंक्टिटी, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन-जन को परिचित कराने का एक निरन्तर प्रयास करें। हमें इस प्रक्रिया को एक पूरे रिलीजियस भाव से, एक पूरे समर्पित भाव से करना चाहिए।

26 नवम्बर- संविधान दिवस के माध्यम से सरकार की यह सोच है और इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा, इवॉल्व भी होगा क्योंकि यह तो प्रारम्भिक विषय है। कोई चीज अल्टीमेट नहीं होती है। उसमें निरन्तर विकास होता रहता है। हम इस व्यवस्था को प्रतिवर्ष कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा यह कहना नहीं है क्योंकि यह तो इस बार एक विशेष पर्व था। बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती जब देश मना रहा है तो उसके कारण संसद के साथ जोड़कर इस कार्यक्रम की रचना हुई लेकिन भविष्य में इसको लोक सभा तक सीमित नहीं रखना है। इसको जन सभा तक ले जाना है। इस पर व्यापक रूप से सैमीनार हो, डिबेट हो, कम्पीटीशंस हों, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचें, समझें और चर्चा करें। इस संबंध में एक निरन्तर मंथन चलते रहना चाहिए और इसलिए एक छोटे से प्रयास का आरम्भ हो रहा है।

सदन में जिस प्रकार से सबने सकारात्मक भाव व्यक्त किये हैं, उससे लगता है कि इसका माहात्म्य है और आगे चलकर इसको बढ़ाना चाहिए और हम जरूर आगे कोशिश करेंगे, जैसे मेरे मन में विचार आता है कि क्यों न हम पूरे देश में, लगातार भारत के संविधान के संबंध में ऑनलाइन कम्पीटीशंस करें, क्वैश्चंस हों, एस्से कम्पीटीशन हो ताकि पूरे देश की एक आदत बने और हमारे स्कूल कॉलेज जुड़ते रहें। स्कूलों के अंदर ऐसी व्यवस्था हो। एक व्यापक रूप से हमारे संविधान की लगातार चर्चा होती रहे, ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना आगे चलकर सोची जा सकती है। मैंने एक बात लालकिले से कही थी, एक बार इस सदन में भी कही थी लेकिन शायद कुछ चीजों को समझ कर भूल जाने का भी स्वभाव होता है और कुछ चीजें ऐसे ही भुला दी जाती हैं। मुझे याद नहीं कि इससे पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने लालकिले से इस तरह की बात कही हो, अगर कहा हो तो मैं उन्हें नमन करूंगा। मैंने यह कहा था कि इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं, उन सभी सरकारों ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उन सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से यह देश आगे बढ़ा है। मैंने यह बात लालकिले से कही थी, मैंने इस सदन में भी इस बात को कहा था और मैं आज दोबारा कहता हूं कि यह देश कई लोगों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सभी सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। हाँ, शिकायत यह होती है कि अपेक्षा से कहीं कम हुआ है और लोकतंत्र में शिकायत करने का हक सभी का होता है लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। यह बात कोई कह भी नहीं सकता है और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं बल्कि लालकिले से भी मैंने यह बात कही थी और यह मेरा कंविक्शन है। हम यह भी न भूलें कि राजा-महाराजाओं ने, सत्ताधीशों ने देश को नहीं बनाया है। यह देश कोटि-कोटि जनों ने बनाया है, जन-जन ने बनाया है, श्रमिकों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, गरीबों ने अपने पसीने से बनाया है, शिक्षकों ने बनाया है, आचार्यों ने बनाया है। इस देश के लोगों ने सदियों तक लगातार अपनी-अपनी भूमिका निभाते-निभाते देश को बनाया है इसलिए हम सभी का दायित्व होता है कि उन सभी के प्रति अपना ऋण स्वीकार करना और उनको नमन करना।

संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है। उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था, उनकी विशेष भूमिका रही है और इसलिए इतना उत्तम संविधान हमें जो मिला है, इसकी हम जितनी सराहना करें, उतनी कम है। हम जितना गौरव करें, उतना कम है और अगर संविधान को सरल भाषा में मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिगनिटी फार इंडिया एंड यूनिटी फार इंडिया, इन दो मूल मंत्रों को साकार करता है - जन-सामान्य की डिगनिटी और देश की एकता, अखंडता बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई नाम नहीं होता है लेकिन एक का नाम लेंगे तो दूसरे का नाम रह जाता है। दूसरे का नाम लेंगे तो तीसरे का नाम रह जाता है। हर एक को लगेगा कि हमारा भी तो योगदान था और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई हैं कि कोई उनका नाम ले या न ले, उनके नाम की कभी कमी नहीं हो सकती है, कोई उनके नाम को मिटा नहीं सकता है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए और इसलिए इस विश्वास को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश अनेक महापुरुषों के कारण बना है और उसका अपना महत्व है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। मैं आज संविधान के कार्यक्रम की कल्पना लाया हूं यह पहली बार नहीं है।

मैं एक राज्य में मुख्यमंत्री था और वर्ष 2009 में जब संविधान के 60 वर्ष हुए तो हमने राज्य सरकार की तरफ से हाथी के ऊपर बैठने की पूरी व्यवस्था बनाकर उसमें संविधान को सुशोभित करके रखा था। उसकी यात्रा निकाली थी और संविधान के माहात्म्य के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं हाथी के आगे पैदल चलता था। संविधान के 60 साल को हमने उस प्रकार से गुजरात की धरती पर मनाया था क्योंकि मैं उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री था। इसलिए संविधान के मूल्य को हम स्वीकार करते हैं। हम आज सोचें, इस सदन में, हम इतने सारे लोग जनप्रतिनिधि बनकर आये हैं, अगर हमें एक काम दिया जाए कि जो मूल संविधान की प्रति है, उसकी धाराएँ नहीं हैं, उसमें जो ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, सिर्फ उसको सिलेक्ट करने का काम दिया जाए तो आज की हमारी चुनावी दल-भक्ति इतनी तीव्र हो चुकी है कि मैं नहीं मानता हूँ, संविधान छोड़िए, उसके अंदर जो चित्र हैं, उसको भी सहमति से स्वीकार कर पाएँगे। हर चित्र के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा, उसके कलर के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा। इस मनःस्थिति में हम पहुंचे हैं। तब हमें लगता है कि उन महापुरुषों ने कितना बड़ा काम किया होगा कि संविधान तीन साल के भीतर बना दिया। बहुत-से देशों का संविधान बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। भारत जैसे देश का संविधान बनाना बहुत बड़ा काम है। जिस देश में, विश्व के जीवित 12 धर्म हैं, वे यहाँ श्रद्धापूर्वक मनाये जाते हों, जिस देश में अलग-अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएँ हों, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियाँ हों, हरेक की अलग प्रायरिटी हो, जहाँ ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हों और

ईश्वर को नकारने वाले लोग भी हों, जहाँ प्रकृति की पूजा करने वाले भी हों और पत्थर में परमात्मा को देखने वाले भी लोग हों, ऐसी विविधताओं से भरा है यह देश। वहाँ के लोगों के ऐसपिरेशंस क्या होंगे? उनकी आकांक्षाएँ क्या होंगी? उसे बैठकर, सोचकर बनाना, आज भी हम एकाध कानून बनाते हैं, तो दूसरे सत्र में ही उसे ठीक करना पड़ता है कि उसमें एक शब्द रह गया था, उसे वापस लाना पड़ता है। यह सदन का हमारा अनुभव है। हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे हैं, यह हकीकत है। उसमें हमारी कमियाँ रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि एक शब्द गलत हो गया था, इसे ठीक करना पड़ेगा।

संविधान निर्माताओं ने कितनी तपस्या की होगी। वह कौन-सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकलकर आयीं, वह आज भी हमारे लिए मार्ग-दर्शक हैं। इसलिए इस गौरव-गान को हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, यह हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्युमेंट बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र की जड़ों को सिंचित करने का हमारा प्रयास है, उसमें कमी रहेगी। इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन-जन तक परिचित करवाना हमारा दायित्व बनता है और मैं मानता हूँ कि इसमें जिन-जिन महापुरुषों ने योगदान किया है, उन सबका उल्लेख करते हुए हमें इस बात को करना होगा।

जब हमारा संविधान-निर्माण हुआ, तब संविधान सभा के प्रोविज़नल चेयरमैन डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा जी ने एक बात कही थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने अमेरिकी संविधान के बारे में कोट किया था, उन्होंने जोसेफ स्टोरी के शब्दों का उल्लेख किया था।

जोसेफ स्टोरी ने कहा था:

> "The Constitution has been reared for immortality, if the work of man may justly aspire to such a title."

संविधान अमर रहने के लिए बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा कभी कोई चीज अमर हो नही सकती, लेकिन संविधान अमर हो सकता है। यह बात कही। मनुष्य कभी यह नहीं कर सकता, लेकिन किया था। बाबा साहब अम्बेडकर की विशेषता की ओर हम नजर करते हैं, दीर्घदृष्टा और महापुरूष कैसे होते हैं, इसका एक उदाहरण है कि अगर किसी को सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, अगर किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अगर अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब है कि उस महापुरूष में कितनी दीर्घदृष्टि थी, कितना विज़न था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि आज भी विरोध करने के लिए वे मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक हैं, न्यूट्रल मूकदर्शक बैठे हुए लोगों के लिए, तौलने के लिए भी मार्गदर्शक हैं। यह अपने आप में बड़ा अजूबा है, वरना विचार तो कई होते हैं, हर विचार एक ही खेमे के काम आते हैं, सब खेमों के काम नहीं आते। एक ही कालखण्ड के लिए काम आते हैं, सब कालखण्ड के लिए काम नहीं आते हैं। बाबा साहब की यह विशेषता रही है कि उनके विचार हर कालखण्ड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर तबके के लिए उपकारक हो रहे हैं, मतलब उन विचारों में ताकत थी, एक तपस्या का अर्क था, जो राष्ट्र को समर्पित था और 100 साल के बाद का भी देश कैसा हो सकता है, यह देखने का सामर्थ्य होता है, तब जाकर इस प्रकार की बात निकल पाती है। इसलिए सहज रूप से उस महापुरूष को नमन करने का मन होना बहुत स्वाभाविक है।

जब मैं इस संविधान के संबंध में सोचता हूं, कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि यह ऐसा डाक्यूमेंट है, जिसमें धाराएं हैं, जिन धाराओं से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका रास्ता मिलता है - सरकार कैसे चलानी है, कैसे नियम रहें, संसद कैसे चलानी है, क्या करना है। ग्रानविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान का वर्णन करते हुए जो कहा, मैं समझता हूं बड़ा इंट्रेस्टिंग है। उन्होंने कहा - यह एक सामाजिक दस्तावेज है, वरना संविधान एक कानून दस्तावेज होता है। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर न होते, मुझे क्षमा करें, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था, लेकिन वह संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता। यह सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द, उनकी

पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उन यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बनकर निकल रहा था, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ था और तब जाकर एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि यह सामाजिक दस्तावेज है। इसलिए इसे वैधानिक दस्तावेज न मानते हुए, इसे सामाजिक दस्तावेज कहा है। कभी-कभी मुझे लगता है, हम भी जानते हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में हैं और एकाध गलत चीज हो जाए तो लम्बे अर्से तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो चुभता रहता है, जब वह सामने मिलता है, वह नहीं दिखता है, उसका वह शब्द याद आता है। यह हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दलित मां का बेटा, जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर-डगर उनको सहना पड़ा, उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, अगर वह हम जैसा मनुष्य होता तो पूरी संभावना होती कि वह कटुता, वह जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन यह बाबा साहब अम्बेडकर की ऊंचाई थी कि जीवनभर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वह बदले का भाव नहीं है। यह उनकी महानता है, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है, जिसके कारण यह सम्भव हो पाया। वरना हम सब जानते हैं और हमें मालूम है कि एक शब्द भी ऐसा चुभ जाता है कि वह निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उस सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़कर गए। उस महापुरुष के लिए मुझे संस्कृत का एकपद याद आता है-

"स्वभावम् न जहां त्येवः साधुरा आपत् गतो पीसन। कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभं लभते तराम्।"

ये बात बाबा साहेब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। इसका मतलब हैः- साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है, जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जल कर अपनी सुरभि से सब को मोहित करता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर थे। अपने साथ इतनी कठिनाइयां हुईं, इतनी यातनाएं झेलीं, उसके बावजूद भी हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है, सब को जोड़ने का प्रयास है, सब को समाहित करने का प्रयास है। इसलिए बाबा साहब को विशेष नमन करने का मन होना स्वाभाविक है।

25 नवम्बर, 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में और स्वतंत्र भारत में नागरिकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर एक भाषण उन्होंने किया। उन्होंने कहा-

"If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objective.

Where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us."

''यदि हम लोकतंत्र को एक रूप में ही नहीं बल्कि सच में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके कुछ नहीं, बल्कि अराजकता है और उन्हें शीघ्र ही छोड़ना हमारे लिए बेहतर होगा।''

मैं समझता हूं हम सब लोकतंत्र की परिपाटी से पले-बढ़े लोग हैं। हमारे लिए यह do's and don't's की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रारूप रखा, यानी उनका उद्देश्यपरक प्रस्ताव था और उनका समर्थन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, डा.राधाकृष्णन जी ने किया था और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात पंडित नेहरू के समर्थन में और उस प्रस्ताव के समर्थन में कही थी। उन्होंने कहा था - धर्मम् क्षत्रस्य क्षत्रम्। धर्म सत्य राजाओं में भी सर्वोपरि है। यह लोगों और शासक दोनों का शासक है, यह कानून की संप्रभुता है, जिसका हमने दावा किया है। यहां धर्म यानी रीचुअल्स की बात नहीं है, संविधान की बात है और उसमें उन्होंने बहुत ही उचित ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया है।

उसी प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डा.बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 368 के संबंध में जो बात कही है, जो व्याख्या उन्होंने की है, क्योंकि आज विषयों में छोटी-मोटी सुगबुगाहट हम सुनते रहते हैं और इसलिए इस बात को समझना ज्यादा आवश्यक है। He has said:

> "The Constitution is a fundamental document. It is a document which defines the positions and powers of the three organs of the State – the Executive, the Judiciary and the Legislature. It also defines the powers of the Executive and the powers of the Legislature as against the citizens as we have done in our chapter dealing with Fundamental Rights. In fact the purpose of a Constitution is not merely to create the organs of the State but to limit their authority because if no limitation was imposed upon the authority of organs, there will be complete tyranny and complete oppression. The Legislature may be free to frame any law, the Executive may be free to take any decision, and the Supreme Court may be free to give any interpretation of the law. It would result in utter chaos."

"संविधान आधारभूत दस्तावेज है, यह वह दस्तावेज है, जो राज्यों के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को परिभाषित करता है। यह कार्यपालिका की शक्तियों और विधायिका की शक्तियों को नागरिकों के प्रति भी परिभाषित करता है, जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों के अध्याय में किया है। वस्तुत: संविधान का उद्देश्य राज्यों के अंगों का मात्र सृजन करना नहीं है, बल्कि उसके प्राधिकार को सीमित करना है, क्योंकि यदि अंग के प्राधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती तो वह पूर्ण निरंकुशता और पूर्ण दमन होगा। विधायिका किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र हो, कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तथा सर्वोच्च न्यायालय कानून की कैसी भी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हो तो इसकी परिणति अराजकता में होगी।" बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी ताकत के साथ अपनी इस बात को कहा था। इसी बात को आगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश, न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर, उन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष के नाते जो 46वीं रिपोर्ट दी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही है -

> "The Commission believes that in a democratic country like India which is governed by a written Constitution, supremacy can be legitimately claimed only by the Constitution. It is the Constitution which is paramount, which is the law of laws, which confers on Parliament and the State Legislatures and the Executive and the Judiciary their respective powers, assigns to them their respective functions and prescribes limitations within which the said powers and functions can be legitimately discharged."

गजेंद्र गड़कर कहते हैं कि ''आयोग विश्वास करता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो कि लिखित संविधान द्वारा अभिशासित है, वहां सर्वोच्चता का दावा केवल संविधान द्वारा ही कानूनी रूप से किया जा सकता है। यह संविधान ही है, जो सर्वोच्च है, जो कि कानूनों का कानून है। जो संविधान राज्य विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं और न्यायपालिका को उनकी शक्तियां प्रदान करता है, उनके संबंधित कार्य देता है तथा उन सीमाओं को विहित करता है, जिसमें उक्त शक्तियों का कानूनी रूप से अपने कार्यों में निष्पादन कर सकती है।'' यानि हमारा संविधान इतना स्पष्ट है, सटीक है और इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सारी बातों को बार-बार उजागर करें और उजागर कर के हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। इसकी दिशा में हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारे लिए आज संविधान और अधिक महतवपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है। अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग प्रकार के एसपिरेशंस भी हैं। हमारा दायित्व है और आज जब हम इस लोकतंत्र के मंदिर में एकत्र हुए हैं, वह कौन सा संकल्प है, जो हमें एकजुट रखता है और कौन सा संकल्प है, जो हमें आगे बढ़ाता है।

बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने कहा है और इस बात की चर्चा यहां पहले हो चुकी है :-

> " I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution."

''मैं महसूस करता हूँ कि एक संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो या बुरा हो सकता है, क्योंकि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा जाता है, वह एक अपात्र समूह भी हो सकता है। तथापि एक संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो वह अच्छा साबित हो सकता है, यदि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए दिया गया है, वे एक अच्छा समूह हो। संविधान का काम करना, संविधान की प्रकृति पर ही पूरा निर्भर नहीं होता।'' कल मैडम सोनिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। आज भी राज्य सभा में इस बात का जिक्र हुआ है और इसलिए संविधान की सैंक्टिटी हम सबका दायित्व है, यह हम सबकी जिम्मेवारी है और यह ठीक है कि आखिरी चीज़, अल्पमत-बहुमत से बनती है। लेकिन हम यह न भूलें कि लोकतंत्र में ज्यादा ताकत तब आती है, जब हम सहमति के रास्ते पर चलते हैं। हम सहमति और समझौते के प्रयास करते हैं, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तब आखिरी रास्ता होता है, अल्पमत और बहुमत का। इस सदन में एक तरफ ज्यादा लोग हैं, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि जो चाहे वे

चीजें थोप दें। इसलिए सहमति का हमारा रास्ता होना चाहिए। समझौते का रास्ता होना चाहिए। हर किसी का साथ और सहयोग मिलना चाहिए। कुछ नहीं बनता है, सारी बातें विफल हो जाती हैं, तो फिर अंतिम मामला बनता है, वह अंतिम है, जबकि बहुमत और अल्पमत के तराजू से तोला जाए। इस भावना को हमें आगे बढ़ाना होगा और इसलिए संविधान की इस भावना को चलाना है।

मुझे आज भी याद है, जब अटल बिहारी वाजपयी जी की सरकार थी, तब इस सदन में बहुमत की परीक्षा हो रही था। जब बहुमत की परीक्षा हो रही थी, तब नैक टू नैक मामला था। ओडिसा के मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधर जी लोक सभा के सदस्य थे। वे असेम्बली में जीत गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं दिया था, 15 दिन का समय होता है और इसी समय वाजपेयी जी को अपना बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई। उस समय देश में विवाद था कि वे क्या करेंगे, सदन में आएंगे, क्या करेंगे और स्पीकर महोदय ने भी उनको कहा कि ठीक है आप आए हैं, लेकिन अपनी अन्तर-आत्मा को पूछकर जो करना है, वह करिए। उन्होंने ऐसा कहा था। बाद में उन्होंने अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट किया और एक वोट से अटल जी की सरकार हार गई थी। एक वोट से सरकार हार गई थी। संविधान उच्च हाथों में होता है तब किस प्रकार का व्यवहार होता है और कभी गलती होती है तो कैसा होता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि अटल जी का उस दिन का भाषण और जिस ऊँचाई से उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ा था, उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि क्या लोकतंत्र की ऊँचाई को उन्होंने स्वीकार किया था।

हमारे देश इतने हजारों साल का देश है, कमियाँ हमारे में आती हैं, कभी-कभी बुराइयाँ भी प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन हमारी कुछ हस्ती नहीं मिटती, यह जो हम बात बताते हैं, उसकी मूल ताकत क्या है, मूल ताकत यह है कि हजारों साल पुराना यह समाज है, इसमें एक ऑटो पायलट प्यूरिफिकेशन अरेंजमेंट है। हमने देखा होगा बुराइयाँ हमारे समाज में नहीं आईं, ऐसा नहीं है, बुराइयाँ आई हैं, कभी-कभी बुराइयों ने जड़ें जमा दी हैं, लेकिन उसी समाज में से लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने बुराइयों को खत्म करने के लिए जिन्दगी खपा दी है। समाज के विरोध के बाद भी वे लड़े हैं और समाज की एकता और अखण्डता के लिए उन्होंने प्रयास किया है। समाज में समयानुकूल वे बदलाव लाए हैं। हमारे देश में धार्मिक परम्पराओं के रहते समाज ऐसा जकड़ गया था, पुरोहितों का ऐसा बड़ा तांडव चल रहा था, समाज एक प्रकार से विचित्र परिस्थिति में था। तभी तो इस देश में भक्ति युग आया। चैतन्य महाप्रभु कहो, मीराबाई कहो, नरसी मेहता कहो, कितने लोग आए जिन्होंने इस चंगुल से देश को बाहर निकाला। यह तो समाज था, जो कभी सती प्रथा में गर्व करता था, लेकिन राजा राम मनोहर राय पैदा होते हैं, समाज के विरोध में आदमी खड़े हो जाते हैं कि यह सती प्रथा पाप है, यह विधवा दहन है, यह कभी देश में चल नहीं सकता। समाज में बदलाव

स्वीकार हो जाता है। कोई ईश्वर चन्द्र विद्यासागर पैदा होते हैं। जब एक महिला विधवा हो जाती है तो उस युग में उसको जीवन भर यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। आज भी कभी-कभी संकट कुछ समाजों में देखा जाता है। वे दिन कैसे होंगे, जब विद्यासागर जी ने बीड़ा उठाया होगा और उन्होंने कहा होगा कि विधवा का पुनः लग्न होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जब समाज में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, उनकी बेरहमी की अवस्था थी तब दलित, पीड़ित, शोषित के लिए कोई ज्योतिबा फुले, कोई बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में आते हैं। छुआछूत का काल था, कोई नरसी मेहता, कोई महात्मा गाँधी उस कालखण्ड में निकल पड़ते हैं, राजनीति को बाजू छोड़कर छुआछूत को खत्म करने के लिए जीवन खपा देते हैं। यही तो समाज है, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है तो कोई जय प्रकाश नारायण निकल पड़ते हैं और अपने आपको खपा देते हैं। इस देश में समाज के अन्दर बुराइयाँ जब भी आई हैं, ऐसा तो नहीं है कि बुराइयाँ नहीं आई हैं, लेकिन हर बुराई के समय हमारे अन्दर ही एक व्यवस्था है, एक ऑटो पायलट अरेंजमेंट है, जहाँ से हर कालखण्ड में कोई न कोई महापुरूष आता है, जो समाज को दिशा दिखाता है और समाज को बचा लेता है। यही तो हमारी ताकत है। आज संविधान हमारे लिए मार्गदर्शन है, लेकिन किसी जमाने में तो वह भी नहीं था, तब भी समाज में लोग मिलते थे और जब आज हमें संविधान का सहारा है, हम कितना कर सकते हैं। हम उस बिरादरी के लोग हैं, जिसकी साख को बहुत बड़ी चोट लगी है।

आजादी के आन्दोलन में देश के लिए निकलने वाले लोगों को समाज बड़े गर्व के साथ देखता था। उनके परिवार के प्रति भी बड़े गौरव से देखता था, लेकिन चाहें या न चाहें यह हकीकत है कि कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं कि राजनीतिक बिरादरी की साख कम हुई है। समाज का उनकी तरफ देखने का रवैया बदला है। नेता हैं - नमस्ते। यह है। यह हम लोगों के लिए चुनौती है कि हम अपने आचरण से, व्यवहार से फिर से एक बार, क्योंकि यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, इसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इसकी ताकत कैसे बढ़े। इतनी बदनामी होने के बावजूद भी समाज लगातार हमको कोसता रहता है कि हम राजनेता हैं यानी सब बुरे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता सब बुरे हैं, हर प्रकार के पाप हमारे में पड़े हैं, यह सब हम दिन-रात सुनते हैं लेकिन मैं देश को कहना चाहता हूँ कि इन्हीं राजनेताओं ने इसी सदन में बैठकर अपने पर बंधन लगाने के निर्णय किये हैं। आप देखिए कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो इलैक्शन कमीशन का फॉर्म भरते हैं। उसमें हम खुद लिखते हैं कि मेरे पर इतने गुनाह हैं। हम खुद लिखते हैं कि मेरे पास इतनी चल-अचल संपत्ति है। यह कोई हम पर थोपा हुआ विषय नहीं था। सरकार किसकी थी, यह मेरा विषय नहीं है। इसी सदन में बैठे हुए सांसदों और इन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह आत्मसंयम स्वीकार किया, उन्होंने बदलाव किया।

इतना ही नहीं, यह चिन्ता रही कि चुनावों में खर्चा ज्यादा होता है, काले धन का उपयोग होता है, कम होना चाहिए। यही राजनेता हैं, उन्होंने इलैक्शन कमीशन के साथ सर्वसम्मति से मत बनाया कि हम अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे। इतना ही नहीं, इलैक्शन कमीशन को डेली अकाउंट दो। जितने बंधन आते जाते हैं, राजनीतिक दल स्वीकार करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है, राजनेता संवेदनशील है, किसी भी दल का हो, किसी भी परंपरा से आया हुआ हो, लेकिन उन्होंने संवेदनशीलता के साथ राष्ट्र के कल्याण के लिए ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं।

हमारे यहाँ एक समय आया जब मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी, राजनीतिक दबाव बढ़ने लगे, संतुलन बिठाने की मुसीबत आने लगी तो यही राजनेता और संसद के अंदर बैठे हुए राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया कि हम कोटा सिस्टम करेंगे, इतने परसेंट से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। हमने पालन किया, हमने अपने पर बंधन लगाए। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है जिस प्रकार से पोलिटिकल फील्ड के लोग अपने पर बंधन लगा रहे हैं, समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी, कभी देर होती होगी। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया कि इतनी सज़ा के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संसद कानून बना सकती थी, कानून बनाकर छुटकारा ले सकती थी, लेकिन यही संसद है, यही राजनेता हैं जिन्होंने अपने पर उस कानून को स्वीकार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सज़ा हुई है तो मैं नहीं आऊँगा। ये वे पहलू हैं जिनके लिए हम गर्व कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में होने के बावजूद भी हमने इन मर्यादाओं को स्वीकार किया है और हम उनकी प्रशंसा करते हैं।

इस सदन में एक से बढ़कर एक स्टालवर्ट लोग आकर बैठे हैं और इस सदन की विशेषता रही है। मुझे याद है जब मैं पार्टी के संगठन का काम करता था, तो टीवी डीबेटों में जाना होता था और प्राइम टाइम रहता तो उस समय बहुत ही मांग रहती थी। एक बार मैं और गुलाम नबी आज़ाद हम लोग टीवी डीबेट में गए थे। काफी तू-तू मैं-मैं चलती थी, स्वाभाविक था। लेकिन बाद में जब पूरा हुआ तो हम स्टूडियो में मस्ती से चाय वगैरह पी रहे थे। जो पत्रकार थे उनके एक सीनियर व्यक्ति भी थे, मुझे आज याद नहीं है। गुलाम नबी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि देखो भई, आप भले मानते हों कि हम एक दूसरे के दुश्मन जैसे लगते हैं, लेकिन कभी संसद में आकर देखिए हम कैसे एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, कितना अपनापन हमारे बीच होता है। यह कोई मोदी नहीं लाया है, पिछले पचास साल से सब तपस्या करके लाए हैं। इसलिए इन महान चीज़ों का गुणगान, इन महान चीज़ों का आदर तथा इसको और पनपाना है। एक समय था इस सदन में तीव्र विरोध हो तो भी सौहार्द बना रहता था।

एक बड़ी ऐतिहासिक बात है कि एक बार राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में आँकड़ों के द्वारा पंडित नेहरू को बताया कि आपकी नीतियाँ देश के काम में नहीं आने वालीं, गलत हैं। राम मनोहर लोहिया

विपक्ष में थे, जमकर बोले। लेकिन गौरव तो इस बात का था कि पंडित नेहरू खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं आपके आँकड़ों को नकार नहीं सकता हूँ। इस देश में यह ऊंचाई थी, पंडित नेहरू ने ऊंचाई दिखाई थी। हमारी सत्यनिष्ठ जो बुद्धि है, उसमें हमें अपने साथियों का गौरव करना होगा, संविधान की उस भावना को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे, इसलिए यह जो हमारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, हमारे सभी सदस्यों को ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, उसका आदर-सत्कार करने का भाव हो, यह हमारी सहज प्रकृति बननी चाहिए।

एक बात जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है, हुआ क्या है कि आजादी के आन्दोलन में जो महापुरुष थे, वे समाज को समय-समय पर दिशा देते थे। उन नेताओं में वह जज्बा था, वे कह सकते थे, यह गलत है, यह मत करो, यह नहीं कर सकते हो। उनमें यह ताकत थी। महात्मा गांधी तो कभी कम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं थे। लेकिन समय रहते हम ऐसी आश्रित अवस्था में आ गये हैं कि जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उनको कुछ कहने का हमारा हौसला नहीं रहा है। ज्यादातर हमारे संविधान में एक ही पहलू उजागर होकर के आया है और वह है राइट। हर ओर मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, इसी के आसपास देश चल पड़ा है। इस पवित्र अवसर पर मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं, मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, समय की मांग है कि हम अधिकारों को जितना बल दें, उतना ही हम अपने कर्तव्य पर भी बल दें, ड्यूटी पर बल दें। देश अधिकार और कर्तव्य के मिक्स भाव से चल सकता है, वरना देश नहीं चल सकता है। हमारे सरकारी ऑफिसरों को भी किसी काम के लिए पूछोगे तो क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है, अच्छा-अच्छा यह है, इसमें मेरा क्या है? वहीं से शुरू होता है, मेरा क्या और मेरा क्या का जवाब अगर निगेटिव आया तो मुझे क्या। यह जो अवस्था है, मेरा क्या और मेरा कुछ नहीं तो फिर मुझे क्या, जाओ मरो। यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। हमें कर्तव्यभाव जगाना होगा और तब जाकर के सही तरीके से देश आगे बढ़ेगा।

महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे अगर कागज मिल जाये तो मैं कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी और मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए और देश के लिए भी वह याद करने जैसी है। 'आज पूंजीपति और जमींदार अपने अधिकारों की बात करते हैं। दूसरी तरफ मजदूर अपने हितों की, रजवाड़े अपने प्रभुत्व की और किसान उनके इस अधिकार की अवहेलना की। यदि सभी केवल अपने अधिकारों की बातें करें और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लें तो परिणाम अव्यवस्था और अराजकता होगी। यदि सभी अपने अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों की बात करेंगे तो शीघ्र ही मानवता में रूल ऑफ ऑर्डर की स्थापना स्वतः हो जायेगी। राजाओं को शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं होता और न ही किसानों को कोई फर्ज होता है कि वे अपने आकाओं का हर हुक्म मानें।' ये गांधी जी के

शब्द थे और इसलिए जब हम संविधान की चर्चा करते हैं, तब हमारे सामने यह प्रमुख बात रहती है कि हम कर्तव्य पर बल कैसे दें। हम कर्तव्य के प्रभुत्व की ओर समाज को ले जाने में अपनी कोई भूमिका अदा कर सकते हैं क्या तो हमें वह करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस बात में संविधान के समापन का जब समय चल रहा था तो राजेन्द्र बाबू ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 'सभी को आश्वासन देते हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम गरीबी और बदहाली को और इसके साथ ही, अर्थात् भूख और बीमारी को खत्म करें। अन्तर और शोषण को समाप्त करें और जीवन की उत्तम दशाएं सुनिश्चित करें। हम एक महान मार्ग पर यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस यात्रा में हमें अपने सभी लोगों की उदार सेवा और सहयोग मिलेंगे तथा सभी समुदायों को सहानुभूति तथा समर्थन हासिल होंगे।'

आज के समय में संविधान हमारे पास है। अगर इसके बारे में कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। कभी भी कोई संविधान बदलने के लिए सोच नहीं सकता है। मैं मानूंगा कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वह आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उन महापुरुषों ने जो सोचा है, आज की अवस्था में वह कोई कर ही नहीं सकता। हमारा तो भला इसमें है कि इसे अच्छे ढंग से कैसे हम गरीब, दलित, पीड़ित-शोषित के काम में लाएं। हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए।

अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता, तो कोई मुझे बताए कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज की हालत क्या होती? परमात्मा ने उसे वह सब दिया है, जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके कारण उसकी दुर्दशा है। उन्हें अवसर देना हमारा दायित्व बनता है। उन्हें अवसर देना हम सबका दायित्व बनता है। समाज का इतना बड़ा तबका जब विकास की यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, ताकत वाला तबका बनकर खड़ा हो जाए, तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। कोई भू-भाग पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। शरीर के एक अंग को अगर लकवा मार गया हो, तो उस शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगर शरीर का एक अंग भी वीक है, तो यह शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जाता। इस समाजपुरुष का कोई एक अंग भी अगर निर्बल है, तो फिर यह समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, यह राष्ट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए राष्ट्र का सशक्तीकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हों। पुरुष हों, स्त्री हों, इस जाति के हों, उस जाति के हों, इस पंथ के हों, उस पंथ के हों, यह भाषा वाले हों, वह भाषा वाले हों, अगर वे इस भू-भाग में रहते हैं, तो हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि हम सभी के सशक्तीकरण के लिए काम करें। उस काम को हमें पूरा करना है। हमारे सामने बहुत बढ़िया अवसर भी है, चुनौती भी है।

800 मिलियन यूथ जिस देश में हों, उससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य क्या हो सकता है? उनको रोज़गार देना है, उनके हाथों में हुनर देना है। भारत का भाग्य बदलने के लिए हमारे पास जो भी बुद्धि, संपदा, ज्ञान, व्यवस्था, संविधान, जो भी है, हम उसका उपयोग करके अपनी शक्ति को कैसे उजागर करें? हमारे देश में आज भी, इतने सालों के बाद भी, हम लोगों की एक चिंता है कि कैसे न्याय सबको मिले, न्याय सहज-सुलभ हो, न्याय त्वरित हो।

लोकतंत्र के जितने पहलू महत्वपूर्ण हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण पहलू है- ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। वह लोकतंत्र को मज़बूती देता है। उसी प्रकार से जस्टिस है। सोशल जस्टिस एक विषय है। उसकी तो चिंता करनी ही है, लेकिन इसके साथ-साथ सामान्य मानव के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें कैसे न्याय मिले। जैसे लोक अदालतें चलीं। लोक अदालतों ने काफी न्याय प्रदान किया, लेकिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा और बढ़ कर हम प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि काफी काम होगा। ऐसा मुझे लगता है।

बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक महान काम किया, जो आज श्रमिकों के कानों तक नहीं पहुंचता है। खड़गे साहब सही कह रहे थे। पहले कोई नियम नहीं था। श्रमिक कितने घंटे काम करेगा, यह पता तक नहीं था। जब तक हो सके, तब तक वह बेचारा अपने शरीर को खींच कर काम करता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ताकत दिखाई और श्रमिकों के लिए आठ घंटे की समय-सीमा निर्धारित की। कोई महापुरुष एक काम करके जाता है, वह पीढ़ियों तक कितना बड़ा योगदान देता है, इसका यह नमूना है। मैं मानता हूं कि हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम चीज़ों को करें।

मैंने जब यह काम लिया, तो हमारे यहां ई.पी.एफ. एकाउंट वाला मज़दूर बेचारा एक ज़गह से दूसरी ज़गह चला जाता था, और उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके पैसे कहां गए? उसकी रक़म इतनी होती थी कि वह लेने जाता नहीं था और सरकार के पास 27,000 करोड़ रुपए पड़े थे। वह श्रमिकों का पैसा था, उसके पसीने का पैसा था, लेकिन बेचारे की आवाज़ नहीं थी और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। हमने आकर उसकी एक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की, उसका यू.आई.एन. नम्बर तय कर लिया और उसका परिणाम यह हुआ है कि श्रमिक कहीं पर भी जाएगा, नौकरी छोड़ कर जाएगा, राज्य छोड़ कर जाएगा, गांव छोड़ कर जाएगा, वह जहां भी जाएगा, इस नम्बर के साथ वह एकाउंट भी मूव करेगा।

**18.00 hours**

उसके पैसे उसके साथ चलते जाएंगे और उसके पैसे का हक कोई उससे छीन नहीं पाएगा। यह काम करने का हमने प्रयास किया है। हमने एलआईएन, लीन नंबर का प्रयास किया है। श्रमिकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। लीन नंबर रखते ही जितनी उसकी चीजें हैं, अपने आप मिल जाती हैं। हमारे देश में ईपीएफओ है, पेंशन मिलती है। जब मैं आया तो मेरे ध्यान में आया कि किसी को सात रूपए पेंशन,

किसी को दस रूपए, किसी को बीस रूपए, किसी पच्चीस रूपए और किसी को ढाई सौ रूपए मिलते हैं। बेचारे को आटो रिक्शा भी पोस्ट आफिस तक पेंशन लेने जाने के लिए महंगी पड़ती थी, लेकिन यह चल रहा था। हमने आकर निर्णय किया और मिनिमम पेंशन एक हजार रूपए कर दिया। उनको भी आधार कार्ड से डायरेक्ट बेनेफिट स्कीम में जोड़ दिया। ...(व्यवधान)

इस सदन में एक एक्ट आने वाला है। ...(व्यवधान) इस सदन में महत्वपूर्ण बोनस एक्ट आने वाला है। बोनस एक्ट में इसकी सीमा 3500 से बढ़ाकर 7000 रूपए करने का प्रावधान है। अर्हता को जो उसकी सीमा 10 हजार है, उसको 21 हजार करने के लिए कैबिनेट ने पास किया है और सदन में इस बार यह बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट श्रमिकों के लिए आने वाला है। एक के बाद एक ऐसे निर्णय जो हमारे देश के गरीबों की भलाई के लिए काम आएं, उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

यह बात सही है कि कई बार हम ऐसे विषयों पर भी चर्चा करते हैं। मैंने पहले भी एक बार इस सदन को कहा था और आज दोबारा कहना चाहता हूं कि सरकार का एक ही धर्म होता है। सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्मग्रंथ होता है, भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए और संविधान की ताकत से ही देश को ताकत मिल सकती है, उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा या आशंका का कोई कारण नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, 6 बज रहे हैं। अगर आप सबकी सहमति हो तो इस चर्चा की समाप्ति और हमारा संकल्प होने तक सभा की कार्यवाही हेतु आगे समय बढ़ा दिया जाता है।

**कुछ माननीय सदस्य :** ठीक है।

**श्री नरेन्द्र मोदी :** भारत मूलतः जिन आदर्शों और विचारों से पला-बढ़ा है, वह हमारी एक ताकत है। वह हमारी एक आत्मिक शक्ति है। इसलिए हमारे देश की जो आंतर ऊर्जा है, उसको कम आंकने की जरूरत नहीं है। हजारों साल की तपस्या से आंतर ऊर्जा तैयार हुई है। वही देश को भी गति देती है, समाज को भी गति देती है और संकटों से उबरने की ताकत भी देती है। मैं जब उसकी बात करता हूं तो मैं आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में कहना चाहूंगा -

आइडिया ऑफ इंडिया - सत्यमेव जयते,
आइडिया ऑफ इंडिया - अहिंसा परमो धर्मः,
आइडिया ऑफ इंडिया - एकम् सद्विप्राः बहुधा वदन्ति,
आइडिया ऑफ इंडिया - पौधे में भी परमात्मा होता है,
आइडिया ऑफ इंडिया - वसुधैव कुटुंबकम्,
आइडिया ऑफ इंडिया - सर्वपंथ समभाव, ...(व्यवधान)
आइडिया ऑफ इंडिया - अप्पो दीप भवः,
आइडिया ऑफ इंडिया - तेन त्यक्तेन भुंजिथा,

आइडिया ऑफ इंडिया - सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्भवेत्,
आइडिया ऑफ इंडिया - न त्वहं कामये राज्यम्, न मोक्षम् न पुनर्भवम्,
कामये दुःख-तत्पानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं,
आइडिया ऑफ इंडिया - वैष्णव जन ते तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे,
आइडिया ऑफ इंडिया - जनसेवा ही प्रभुसेवा,

आइडिया ऑफ इंडिया - सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यम् करवावहै,

आइडिया ऑफ इंडिया - नर करनी करे तो नारायण हो जाये,

आइडिया ऑफ इंडिया - नारी तो नारायणी,

आइडिया ऑफ इंडिया - यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते
रमन्ते तत्र देवता,

आइडिया ऑफ इंडिया - आनो भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतः,

आइडिया ऑफ इंडिया - जननि जन्म भूमिश्चः स्वर्गादपि गरीयसि।

इसी भाव के साथ में, मैं फिर एक बार सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपने जो इनिशिएटिव लिया, उसके लिए देश हमेशा-हमेशा ऋणी रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।